उत्तर प्रदेश शासन

प्रवासी भारतीय विभाग

(एन.आर.आई. अनुभाग)

संख्या-40/2019/425/93-19-03NRI /2014

लखनऊ : दिनांक: 02 सितम्बर,2019

"अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" मार्गदर्शक सिद्धांत (द्वितीय संशोधन)-2019

अधिसूचना

....

शासन की अधिसूचना संख्या- 10/93(NRI)-6-15-03NRI/14 दिनांक: 20 जनवरी, 2015 द्वारा प्रख्यापित "अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" मार्गदर्शक सिद्धांत,जिसमें प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या-125/93-18-03NRI/14, दिनांक-01 मई,2018 द्वारा किया गया है, के मूल नियम (11) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, **"अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" के मार्गदर्शक सिद्धांत** में जहाँ - कहीं प्रयुक्त **"अप्रवासी"** शब्द को **"प्रवासी"** शब्द से प्रतिस्थापित करते हुए एतद्द्वारा नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम-(1) एवं (8) को स्तम्भ-2 से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

स्तम्भ - 1	**स्तम्भ-2**
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(1) नाम:- "अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" मार्गदर्शक सिद्धांत	**(1) नाम- "प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार" मार्गदर्शक सिद्धांत**
(8) "उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार" की चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:- (i) मा. मंत्री जी, अप्रवासी भारतीय मामले सम्बन्धी विभाग, उ.प्र. शासन | **-अध्यक्ष** (ii) प्रमुख सचिव, अप्रवासी भारतीय मामले सम्बन्धी विभाग, उ.प्र. शासन | -सदस्य (iii) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प्र.शासन |-सदस्य (iv) प्रमुख सचिव, संस्कृति, उ.प्र.शासन | -सदस्य (v) प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रानिक्स, उ.प्र.शासन|-सदस्य (vi) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.शासन |-सदस्य (vii) प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ.प्र.शासन|-सदस्य (viii) सचिव अथवा विशेष सचिव, अप्रवासी भारतीय मामले सम्बन्धी विभाग, उ.प्र. शासन-| **सदस्य सचिव**	**(8)** "उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार" की चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:- (i) मा. मंत्री जी, प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र. शासन-**अध्यक्ष** (ii) प्रमुख सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र. शासन -सदस्य (iii) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प्र.शासन-सदस्य (iv) प्रमुख सचिव, संस्कृति, उ.प्र.शासन-सदस्य (v) प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रानिक्स, उ.प्र.शासन-सदस्य (vi) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.शासन-सदस्य (vii) प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ.प्र.शासन-सदस्य (viii) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा OIA(ओवरसीज़ ऑफ़ इंडियन अफेयर्स) डिवीजन से नामित अधिकारी-सदस्य (ix) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'कांफ्रेंस'

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	डिवीजन से नामित अधिकारी-सदस्य (x) सचिव अथवा विशेष सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र. शासन- **सदस्य सचिव**
चयन समिति द्वारा "उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार" से सम्बंधित विधा के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर सकती है। चयन समिति की संस्तुतियों पर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।	चयन समिति **"उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार"** से सम्बंधित विधा के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर सकती है। चयन समिति की संस्तुतियों पर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। **(8) को पुनः संख्यांकित करते हुए इसमें उप-नियम (8) (1) निम्नवत जोड़ दिया जायेगा:-** **(8)(1) -** चयन में गुणवत्ता के दृष्टिगत वास्तविक (genuine)अभ्यर्थियों के नामांकन अधिकाधिक संख्या में प्राप्त करने हेतु विदेश मंत्रालय,भारत सरकार से भी सहयोग / डाटा प्राप्त किया जाएगा। चयन समिति द्वारा संस्तुत महानुभावों के सत्यापन (verification) कार्य में प्रामाणिकता हेतु विदेश मंत्रालय,भारत सरकार का सहयोग लिया जाएगा।

2- नियम (1) व (8) के उपर्युक्त संशोधित संगत प्रावधान तुरन्त प्रवृत्त होंगे। अधिसूचना दिनांक 20.01.2015 सपठित दिनांक- 01 मई,2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
प्रवासी भारतीय विभाग।

संख्या- 40/2019/425(1)/93-19-03NRI /2014,तद्दिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. सचिव,(CPV & OIA),विदेश मंत्रालय भारत, सरकार, 901 अकबर भवन,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र.शासन।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

6. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव,
उच्च शिक्षा / संस्कृति / आई.टी.एवं इलेक्ट्रोनिक्स / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ सूचना/पर्यटन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ प्रवासी भारतीय विभाग |

7. संयुक्त सचिव, (कांफ्रेंस) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 |

8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स,कानपुर |

9. श्री राजीव कुमार जैन,अंडर सेक्रेटरी,कांफ्रेंस डिवीज़न,विदेश मंत्रालय भारत सरकार,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 |

10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ |

11. विशेष सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग / संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया अधिसूचना में विहित प्राविधानों के अनुसार प्रारंभ कराने के कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे |

12. स्थानिक आयुक्त, उ.प्र. NBBC Place UGF,Bhishm Pitamah Marg, Pragati Vihar, नई दिल्ली |

13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, उ.प्र. |

14. प्रभारी एन.आर.आई.सेल उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर/लखनऊ |

15. निजी सचिव, मा० मंत्री, प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र.शासन |

16. गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(डॉ० राकेश वर्मा)
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।